न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 148/दावा/2016

1. रघुवीर आयु 45 वर्ष आ0 जगन्नाथ जाति धाकड निवासी दबलाना।
2. भगवान आयु 46 वर्ष आ0 मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

वादी

बनाम

1. पीरू वल्द जहूर आयु वयस्क जाति मुसलमान निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 15/04/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 595 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 593 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 1458 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1459 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1460 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है। पक्षकारान ने काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से भूमि पर मौके पर हिस्से कर रखे है। वादीगण के हिस्से व कब्जे में भूमि खसरा संख्या 1459 में से 5 बीघा व 593 की 5 बीघा कुल 10 बीघा भूमि है, जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त भूमि उपरोक्त भूमि में निहित 2/3 हिस्सा पूर्व खातेदारान से दिनांक 06.02.2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण ने अपनी उक्त 10 बीघा भूमि पर वर्तमान में उडद की फसल बो रखी है। प्रतिवादी बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन झगडा फसाद करता है तथा वादीगण की भूमि की मेडे तोडता है तथा वादीगण की फसलों को जानवरों से नष्ट करवाता है तथा वादीगण के हिस्से की भूमियों में दखलंदाज कर वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

.08.2016 को वादी की भूमि की उडद की फसल में जबरन जानवर छोड दिये और फसल नष्ट करवा दी। वादीगण ने प्रतिवादी को ओलमा दिया तो जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करूंगा आडे फिरोगे तो जान से मार दूंगा व खून खराबा करूंगा तथा तुम्हारे हिस्से की भूमि पर से तुम्हे बेदखल करूंगा। यही वाद उत्पत्ति का कारण है। प्रतिवादी द्वारा उक्त धमकी दिनांक 30.08.2016 को देने से प्रतिवादी के विरूद्व उक्त वाद पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी खसरा संख्या 592, 1458 व 1480 पर अपनी बहिनों जमीला, रईसा व कनीजा की सहमति से काबिज चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी पीरू के मन में बदनियति आ गई है जो वादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि पर से बेदखल कर भूमियों पर कब्जा करना चाहता है। वादीगण ने मौके पर जोत के मुताबिक अर्थात काबिज हिस्सेनुसार बंटवारा कराने का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादी बंटवारा कराने को भी तैयार नही हुआ है। इसलिए वादीगण के समक्ष प्रतिवादी के विरूद्व वादीगण के हिस्से की भूमि पर दखलंदाज नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना एकमात्र विकल्प है। प्रतिवादी जाति से मुसलमान है जो आये दिन वादीगण के हिस्से की भूमि पर दखलंदाज कर, झगडा फसाद कर साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान किया जाना न्यायोचित है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 593 रकबा 5 बीघा व 1459 में से रकबा 5 बीघा कुल 10 बीघा भूमि जिसकों आपसी सहमति से वादीगण जोत रहे है पर जबरन कब्जा नही करने, वादीगण की उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाज नही करने, वादीगण की भूमि की मेडो को नही तोडने व फसल नष्ट नही करने हेतु व भूमि पर वादीगण द्वारा हंकाई, जुताई, बुवाई व काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवावें एवं यदि दौराने वाद प्रतिवादी, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर देवे तो इसी वाद में वापस कब्जा भी प्राप्त करें। उक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार रईसा, जमीला व कनीजा द्वारा वादीगण के कब्जे में कोई दखलंदाज नही की जा रही है इस कारण वादीगण उनके विरूद्व इस वाद में कोई अनुतोष नही चाहते है इसलिए उसको इस वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने व एक सहखातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो उसके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय होने से प्रतिवादी के विरूद्व उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम दबलाना में विस्थत होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें – वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 593 रकबा 5 बीघा व 1459 में से रकबा 5 बीघा कुल 10 बीघा भूमि वाके ग्राम दबलाना जिसकों आपसी सहमति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

वादीगण जोत रहे है, पर जबरन कब्जा नही करने, वादीगण की उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाज नही करने, वादीगण की भूमि की मेडों को नही तोडने व फसल नष्ट नही करने व भूमि पर वादीगण द्वारा हंकाई, जुताई, बुवाई व काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादी, वादीगण को अपने उपरोक्त हिस्से की 10 बीघा भूमि से बेदखल कर देवे तो इसी वाद में वापस कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम दबलाना में खसरा संख्या 595, 593, 1458, 1459, 1460 कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में है जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा है। पक्षकारान ने काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से खसरा संख्या 1459 में से 5 बीघा व 593 में से 5 बीघा कुल 10 बीघा भूमि पर शांतिपूर्व काबिज काश्त है, परन्तु प्रतिवादी आये दिन लडाई–झगडा करके वादीगण की भूमि की मेडो को तोडता है ओर दखलन्दाजी कर वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण के हिस्से की भूमि पर दलखन्दाजी से पाबंद किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के अलावा अन्य कोई ऐसा दस्तावेज/कार्यवाही की प्रति पेश नही की है जिससे कि प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर दखलन्दाजी की जा रही हो साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर सहखातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नही है। एक सहखातेदार के विरूद्व दूसरे सहखातेदार द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जाना पोषणीय नही है। उपरोक्त तथ्यों से वाद वादीगण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)
हिण्डोली